DFP/B1-131/13

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पटना, दिनांक 2014

संकल्प

विषयः– राज्य में मकई भंडारण हेतू साइलो (SILO) की स्थापना की स्वीकृति।

राज्य में काफी मात्रा में मक्के का उत्पादन होता है। कैटल फीड इकाईयों के लिए मकई कच्चेमाल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। साईलो, भंडारण की एक नयी तकनीक है, जिसमें कम जगह में काफी मात्रा में मक्का का भंडारण किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि साइलो में वैक्यूम के जरिये अनाज को उपर खींच लिया जाता है। नमी युक्त मकई को इसमें लम्बे समय तक भंडारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए मेज साईलो के साथ गर्म हवा का व्लोअर की आवश्यकता है। कृषि विभाग द्वारा ऐसे साईलो के निर्माण पर अधिकतम 10 (दस) लाख रूपये तक की परियोजनाओं पर ही अनुदान दिया जाता है। उद्यमी पंचायत में लिये गये निर्णय के आलोक में मेज साईलो निर्माण हेतु योजना तैयार की गयी है, जिसकी लागत प्रति यूनिट 2 (दो) करोड़ रूपये अनुमानित है। 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 70 (सतर) लाख रूपये तक का अनुदान देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे मक्का उत्पादकों को काफी लाभ होगा। चूकि मकई को सुखाकर भंडारण करने की स्वभाविक प्रक्रिया है। अतः मकई भंडारण में साईलो के उपयोग करने से जगह की भी बचत होगी तथा लम्बे समय तक इसका भंडारण भी संभव हो सकेगा। इससे स्थानीय स्तर पर कैटल फीड या अन्य मकई अधारित उद्योगों में कच्चामाल के रूप में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा।

2. साइलो इकाई की स्थापना पर इन्टीग्रेटेड खाद्य प्रसंस्करण योजना के अन्तर्गत देय अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। 5000 मे0 टन भंडारण के औसत लक्ष्य को मानते हुए एक इकाई का निर्माण माना जाएगा तथा 35 प्रतिशत के दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अन्य अवयवों यथा राइस मिलिंग, आर0ए0बी0सी0 के साथ मेज साइलो को भी सम्मिलित किया गया है। इसके लिए अलग से राशि का उपबंध नहीं किया जाएगा, बल्कि उपलब्ध उदव्यय से ही योजना को कार्यान्वित किया जाएगा।

4. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष 102 औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0139 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन, विपत्र कोड– सं0 2852801020139, राज्य योजना स्कीम कोड– IND 5431, विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी मद से विकलित होगा।

sankalp

5. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागो एवं महालेखाकार , बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। साथ ही इसकी 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार,(ले0 एवं हक0) बिहार, पटना / कोषागार पदा0 सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 587 /पटना, दिनांक 07/07/2014

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग बिहार, पटना /निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय बिहार, पटना /मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना/प्रबंधक, आई0 टी0 उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा 1 (स0) उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

Rajeev Kumar
04/07/14

sanjay